# अधिकार-आधारित नया वृद्ध देखभाल अधिनियम

नया वृद्ध देखभाल अधिनियम वृद्धजनों के अधिकारों को सर्वप्रथम रखेगा। इसमें वृद्ध देखभाल सेवाएं एक्सेस करने वाले वृद्धजनों के लिए एक Statement of Rights [अधिकार कथन] शामिल है। यह तथ्य पत्रक सरल भाषा में उन अधिकारों का सारांश है।

## अधिकार कथन के बारे में

ऑस्ट्रेलिया सरकार ऑस्ट्रेलिया के वृद्ध देखभाल कानूनों को बदल रही है। *Aged Care Act 2024 [वृद्ध देखभाल अधिनियम]* (नए अधिनियम) में एक अधिकार कथन शामिल है। इसमें समझाया गया है कि ऑस्ट्रेलिया सरकार द्वारा निधीकृत वृद्ध देखभाल सेवाएं एक्सेस करते समय वृद्धजनों के पास क्या अधिकार हैं। 1 नवंबर 2025 को वृद्ध देखभाल अधिकारों के वर्तमान चार्टर की जगह पर अधिकार कथन लागू हो जाएगा।

इस तथ्य पत्रक के अंत में नए अधिनियम में से संपूर्ण अधिकार कथन दिया गया है।

## आपके लिए अधिकार कथन क्या मायने रखता है

अधिकार कथन यह सुनिश्चित करने में सहायता करेगा कि आप अपनी वृद्ध देखभाल के केंद्र में मौजूद हैं।

यह आपको इन बातों का अधिकार देता है:

* अपने जीवन के बारे में अपने निर्णय खुद लेना
* अपने निर्णयों का न केवल स्वीकार किया जाना, बल्कि सम्मान भी किया जाना
* निर्णय लेने में अपनी सहायता के लिए जानकारी और समर्थन प्राप्त करना
* अपनी इच्छाओं, आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं को संचारित करना
* सुरक्षित और सम्मानित महसूस करना
* अपनी संस्कृति और पहचान का सम्मान किया जाना
* अपने समुदाय के साथ जुड़ा रहना।

### स्वतंत्रता, विकल्प और नियंत्रण

आपके पास अपने निर्णय स्वयं लेने और इन बातों का नियंत्रण करने का अधिकार है कि:

* आप कौन सी निधीकृत वृद्ध देखभाल सेवाओं का उपयोग करते/ती हैं
* आप निधीकृत वृद्ध देखभाल सेवाओं को कैसे एक्सेस करते/ती हैं और उन्हें कौन उपलब्ध कराता है
* आपके पैसे और साजो-सामान।

यदि आपको आवश्यकता हो, तो आपके पास ये निर्णय लेने में समर्थन प्राप्त करने का अधिकार है।

आपके पास यह चयन करने का भी अधिकार है कि आप अपना जीवने कैसे जीते/ती हैं, भले ही इसमें कुछ व्यक्तिगत जोखिम शामिल हो। उदाहरण के लिए, आपके सामाजिक जीवन और करीबी रिश्तों के बारे में चयन।

### निष्पक्ष सुलभता

आपके पास यह पता लगाने के लिए निष्पक्ष और सटीक आकलन प्राप्त करने का अधिकार है कि आपको कौन सी निधीकृत वृद्ध देखभाल सेवाओं की आवश्यकता है।

यह आकलन आपके लिए सहज तरीके से किया जाना चाहिए। इसमें आपसे संबंधित इन बातों का सम्मान किया जाना चाहिए:

* संस्कृति और पृष्ठभूमि
* व्यक्तिगत अनुभव और कोई आघात
* संज्ञानात्मक समस्याएं, जैसे मनोभ्रंश (डिमेंशिया)।

आपके पास यह भी अधिकार है कि आपको जिस तरह की देखभाल की आवश्यकता है और जब आपको उसकी आवश्यकता है, तब वह आपको मिले। इसमें प्रशामक देखभाल और जीवन-के‑अंत की देखभाल शामिल है।

### सुरक्षा और गुणवत्ता

आपके पास सुरक्षित, गुणवत्तापूर्ण और निष्पक्ष निधीकृत वृद्ध देखभाल सेवाओं का अधिकार है, जिसमें आपके साथ गरिमामय और सम्मानजनक व्यवहार किया जाता है।

इसमें निधीकृत वृद्ध देखभाल सेवाएं एक्सेस करने का अधिकार शामिल है, जो:

* आपकी पहचान, संस्कृति और पृष्ठभूमि को महत्व देती हैं और उनका समर्थन करती हैं
* आपके अनुभव का सम्मान करती हैं, जिसमें कोई भी आघात शामिल है
* सुलभ हैं और आपकी आवश्यकताओं को पूरा करती हैं
* हिंसा, दुर्व्यवहार और उपेक्षा से मुक्त हैं।

आपके पास इन लोगों के माध्यम से निधीकृत वृद्ध देखभाल सेवाएं प्राप्त करने का अधिकार है:

* सही प्रशिक्षण, कुशलताओं और अनुभव वाले कर्मी
* वृद्ध देखभाल कानूनों के तहत सभी शर्तों को पूरा करने वाले प्रदाता।

यदि आपको वृद्ध देखभाल एक्सेस करने में असुरक्षित महसूस होता है, तो आप वकीलों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और अन्य विशेषज्ञों से नि:शुल्क सहायता प्राप्त कर सकते/ती हैं। वयोवृद्ध दुर्व्यवहार से सुरक्षा के बारे में और अधिक जानकारी के लिए [एटॉर्नी जनरल की वेबसाइट](https://www.ag.gov.au/rights-and-protections/protecting-rights-older-australians#specialist-elder-abuse-services) पर जाएं।

**आपकी गोपनीयता और जानकारी का सम्मान**

आपके प्रदाता के लिए अनिवार्य है कि वे:

* आपकी व्यक्तिगत गोपनीयता का सम्मान करें
* आपकी व्यक्तिगत जानकारी को सुरक्षित रखें, जैसे कि आपके स्वास्थ्य और पैसों के बारे में जानकारी
* आपको इस बात का चयन करने की अनुमति दें कि आपकी व्यक्तिगत जानकारी किसी अन्य को कब दी जा सकती है, जैसे किसी पक्ष-समर्थक या वकील को।

आपके पास अपने अधिकारों और आपके द्वारा उपयोग की जाने वाली निधीकृत वृद्ध देखभाल सेवाओं के बारे में रिकॉर्ड और जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है। इसमें इनके शुल्क के बारे में जानकारी भी शामिल है।

### आपकी आवश्यकताओं को पूरा करने वाला संचार

आपके पास इन बातों का अधिकार है:

* इस तरह से जानकारी प्राप्त करना जो आपकी समझ में आ सके
* फीडबैक देना।

आपके पास अपनी पसंद की भाषा या तरीके से संचार करने का अधिकार है। इसमें अपनी आवश्यकतानुसार दुभाषियों या संचार में सहायता देने वाले उपकरणों का उपयोग करना शामिल है।

आपके पास अपने लिए उपयुक्त तरीके से अपने प्रदाता और अपने समर्थकों से मिलने का अधिकार भी है। इसका अर्थ यह हो सकता है कि दिन में ऐसे समय मिलना, जो आपके लिए सबसे अच्छी तरह से काम करता हो।

### समस्याओं को जल्दी और यथोचित रूप से उठाने के लिए समर्थन

जब आपकी निधीकृत वृद्ध देखभाल सेवाओं में समस्याएँ हों, तो आपके पास इन बातों का अधिकार है:

* अपने प्रदाता से समर्थन प्राप्त करना
* किसी भी भय या दंड के बिना शिकायत करना
* अपनी शिकायतों का शीघ्र और यथोचित उत्तर प्राप्त करना।

### लोगों और समुदाय के साथ समर्थन और संबंध

आपको अपने अधिकारों को समझने, निर्णय लेने या शिकायत करने के लिए समर्थन की आवश्यकता हो सकती है। आपके पास यह अधिकार है कि आप यह समर्थन किसी स्वतंत्र पक्ष-समर्थक या अपने द्वारा चुने किसी अन्य व्यक्ति से प्राप्त करें।

आपके पास अपने पक्ष-समर्थक या समर्थन व्यक्ति के साथ अपनी इच्छानुसार किसी भी समय संचार करने का अधिकार है।

प्रदाताओं को आपके लिए महत्वपूर्ण लोगों की भूमिका का सम्मान करना चाहिए। उदाहरण के लिए, परिवार, दोस्त और देखभालकर्ता।

आपके पास इनके साथ जुड़े रहने का अधिकार है:

* आपके लिए महत्वपूर्ण लोग
* आपका समुदाय, जिसमें अवकाश या सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेना भी शामिल है
* आपके पालतू पशु।

एबोरिजनल और टोरेस स्ट्रेट द्वीपवासी लोगों के पास अपने समुदाय, भूमि व द्वीप घर से जुड़े रहने का अधिकार है।

## अपने अधिकारों का संरक्षण कैसे सुनिश्चित करें

आपके प्रदाता के लिए अधिकार कथन को समझना और उसका पालन करना अनिवार्य है। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं, तो आप शिकायत आयुक्त के पास शिकायत कर सकते/ती हैं।

आप ऑनलाइन, फोन या पत्र के माध्यम से शिकायत कर सकते/ती हैं। और अधिक जानकारी के लिए [Aged Care Quality and Safety Commission](https://www.agedcarequality.gov.au/contact-us/complaints-concerns/what-do-if-you-have-complaint) [वृद्ध देखभाल गुणवत्ता एवं सुरक्षा आयोग] की वेबसाइट पर जाएं।

यदि आपको शिकायत दर्ज करने या जानकारी प्राप्त करने में सहायता चाहिए, तो Older Persons Advocacy Network (OPAN) [वृद्धजन पक्ष-समर्थन नेटवर्क] को 1800 700 600 पर कॉल करें।

OPAN के पास आपकी सहायता के लिए निःशुल्क, स्वतंत्र और गोपनीय पक्ष-समर्थक हैं।

## नए अधिनियम में से संपूर्ण अधिकार कथन

नए अधिनियम की धारा 23 में से संपूर्ण अधिकार कथन नीचे दिया गया है।

स्वतंत्रता, स्वायत्तता, सशक्तीकरण और चयन की स्वाधीनता

(1) व्यक्ति-विशेष के पास निम्नलिखित अधिकार हैं:

(a) व्यक्ति-विशेष के जीवन को प्रभावित करने वाले चयन और निर्णय लेना, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) व्यक्ति-विशेष के लिए अनुमोदित निधीकृत वृद्ध देखभाल सेवाओं की एक्सेस;

(ii) ये सेवाएं व्यक्ति-विशेष को कैसे, कब और किसके द्वारा उपलब्ध कराई जाती हैं;

(iii) व्यक्ति-विशेष के आर्थिक मामले और व्यक्तिगत संपत्तियाँ; और

(b) ये निर्णय लेने के लिए (यदि आवश्यक हो) समर्थन व उन निर्णयों का सम्मान किया जाना; और

(c) व्यक्तिगत जोखिम उठाना, जिसमें व्यक्ति-विशेष के जीवन की गुणवत्ता, सामाजिक भागीदारी और अंतरंग व यौन संबंधों की खोज में उठाए जाने वाले जोखिम शामिल हैं।

समरूप सुलभता

(2) व्यक्ति-विशेष के पास इनके लिए समरूप सुलभता का अधिकार है:

(a) ऐसे तरीके से निधीकृत वृद्ध देखभाल सेवाओं के लिए व्यक्ति-विशेष की आवश्यकता का आकलन या पुनराकलन, जोकि:

(i) सांस्कृतिक रूप से सुरक्षित, सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त, आघात के प्रति जागरुक तथा उपचार के प्रति सूचित है; और

(ii) मनोभ्रंश (डिमेंशिया) या अन्य संज्ञानात्मक नुकसानों के साथ जीवन जीने वाले व्यक्ति-विशेषों के लिए सुलभ तथा उपयुक्त है; और

(b) आवश्यकता पड़ने पर प्रशामक देखभाल और जीवन के अंत की देखभाल।

गुणवत्तापूर्ण और सुरक्षित निधीकृत वृद्ध देखभाल सेवाएं

(3) व्यक्ति-विशेष के पास निम्नलिखित अधिकार हैं:

(a) उनके साथ गरिमामय तथा सम्मानजनक व्यवहार किया जाए; और

(b) उनके साथ सुरक्षित, निष्पक्ष, समरूप तथा भेदभाव से मुक्त व्यवहार किया जाए; और

(c) उनकी पहचान, संस्कृति, आध्यात्मिकता तथा विविधता को महत्व व समर्थन दिया जाए; और

(d) व्यक्ति-विशेष को निधीकृत वृद्ध देखभाल सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं, जो:

(i) सांस्कृतिक रूप से सुरक्षित, सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त, आघात के प्रति जागरुक तथा उपचार के प्रति सूचित तरीके से हैं; और

(ii) सुलभतायुक्त तरीके से हैं; और

(iii) पंजीकृत प्रदाताओं के उपयुक्त योग्यता, कुशलता और अनुभव-प्राप्त वृद्ध देखभालकर्मियों द्वारा प्रदान की जाती हैं।

(4) व्यक्ति-विशेष के पास निम्नलिखित अधिकार हैं:

(a) वे सभी प्रकार की हिंसा, अपमानजनक या अमानवीय व्यवहार, शोषण, उपेक्षा, जबरदस्ती, दुर्व्यवहार या यौन दुराचार से मुक्त रहें; और

(b) उन्हें इस अधिनियम के तहत पंजीकृत प्रदाताओं पर लागू आवश्यकताओं के साथ गुणवत्तापूर्ण और सुरक्षित निधीकृत वृद्ध देखभाल सेवाएं लगातार रूप से उपलब्ध कराई जाती रहें।

टिप्पणी: अध्याय 3 के अनुभाग 4 के प्रखण्ड 1 का संबंध पंजीकृत प्रदाताओं के लिए शर्तों से है, जिसमें प्रतिबंधात्मक कार्यप्रथाओं के उपयोग और घटनाओं के प्रबंध के संबंध में आवश्यकताएं भी शामिल हैं।

गोपनीयता और सूचना का सम्मान

(5) व्यक्ति-विशेष के पास इस बात का अधिकार है कि व्यक्ति-विशेष की:

(a) व्यक्तिगत गोपनीयता का सम्मान किया जाए; और

(b) व्यक्तिगत जानकारी सुरक्षित रखी जाए।

(6) व्यक्ति-विशेष के पास इस बात का अधिकार है कि वे इस खंड के तहत अपने अधिकारों से सम्बन्धित रिकॉर्ड्स तथा जानकारी का आग्रह कर सकें और उन्हें ये उपलब्ध कराए जाएं, जिसमें व्यक्ति-विशेष द्वारा एक्सेस की जाने वाली निधीकृत वृद्ध देखभाल सेवाओं और उन सेवाओं के शुल्कों से संबंधित रिकॉर्ड्स और जानकारी भी शामिल है।

व्यक्ति-केंद्रित संचार और प्रतिशोध-मुक्त तरीके से समस्याएं उठाने की क्षमता

(7) व्यक्ति-विशेष के पास निम्नलिखित अधिकार हैं:

(a) व्यक्ति-विशेष द्वारा एक्सेस की जाने वाली निधीकृत वृद्ध देखभाल सेवाओं के बारे में व्यक्ति-विशेष की समझ में आने वाले तरीके से उन्हें सूचित किया जाए; और

(b) व्यक्ति-विशेष द्वारा एक्सेस की जाने वाली निधीकृत वृद्ध देखभाल सेवाओं के बारे में वे राय व्यक्त कर सकें और उन्हें सुना जाए।

(8) व्यक्ति-विशेष के पास इस बात का अधिकार है कि व्यक्ति-विशेष अपनी पसंद की भाषा या संचार विधि से संवाद कर सकें, जिसमें आवश्यकतानुसार दुभाषियों और संचार समर्थन उपकरणों की सुलभता भी शामिल है।

(9) व्यक्ति-विशेष के पास निम्नलिखित अधिकार हैं:

(a) निधीकृत वृद्ध देखभाल सेवाओं के वितरण में समस्याएं पैदा होने पर वे पंजीकृत प्रदाताओं की ओर से खुला संचार व समर्थन प्राप्त कर सकें; और

(b) एक सुलभ तंत्र का उपयोग करके व्यक्ति-विशेष को निधीकृत वृद्ध देखभाल सेवाएं प्रदान किए जाने के बारे में शिकायतें कर सकें, जोकि प्रतिशोध के भय से मुक्त हो; और

(c) व्यक्ति-विशेष की शिकायतों का निष्पक्ष और तुरंत निपटान प्राप्त कर सकें।

पक्ष-समर्थक, महत्वपूर्ण व्यक्ति और सामाजिक संबंध

(10) व्यक्ति-विशेष के पास किसी पक्ष-समर्थक या व्यक्ति-विशेष की पसंद के किसी अन्य व्यक्ति से समर्थन प्राप्त करने का अधिकार है, जिसमें व्यक्ति-विशेष द्वारा इस खंड में दिए गए अधिकारों का प्रयोग करने या समझने, व्यक्ति-विशेष द्वारा राय व्यक्त करने, व्यक्ति-विशेष के जीवन को प्रभावित करने वाले निर्णय लेने और शिकायत करने या फीडबैक देने के समय ऐसा करना भी शामिल है।

(11) व्यक्ति-विशेष के पास अपने लिए महत्वपूर्ण लोगों की भूमिका को अभिस्वीकृति और सम्मान दिए जाने का अधिकार है, जिनमें देखभालकर्ता, आगंतुक और स्वयंसेवक शामिल हैं।

(12) व्यक्ति-विशेष के पास इनके साथ जुड़े रहने के लिए अवसर और सहायता प्राप्त करने का अधिकार है (व्यक्ति-विशेष के चयनानुसार):

(a) व्यक्ति-विशेष के जीवन में महत्वपूर्ण लोग और पालतू पशु , जिसमें परिवार के सदस्यों, मित्रों, स्वयंसेवकों या अन्य आगंतुकों का व्यक्ति-विशेष के रहने के स्थान पर सुरक्षापूर्वक मुलाकात करने के लिए आना, तथा व्यक्ति-विशेष का परिवार के सदस्यों या मित्रों से मिलने के लिए जाना शामिल है; और

(b) व्यक्ति-विशेष का समुदाय, जिसमें सार्वजनिक जीवन और अवकाश, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और जीवनशैली गतिविधियों में भाग लेना शामिल है; और

(c) यदि व्यक्ति-विशेष एबोरिजनल या टोरेस स्ट्रेट द्वीपवासी हैं, तो - समुदाय, भूमि और द्वीप घर।

(13) व्यक्ति-विशेष के पास अपने चयन के समयानुसार किसी भी समय अपने द्वारा नामित किसी व्यक्ति, या किसी उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा नामित व्यक्ति को एक्सेस करने का अधिकार है।